The Uttar Pradesh Legislature (Emoluments and Pension of Members) Uttaranchal Amendment Act, 2001

Act 8 of 2001

Keyword(s):
Salary, Pension, Allowances, MLAs, MLA

Amendment appended: 12 of 2002

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या–061 (ख)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 17 मई, 2001 ई0

बैशाख 27, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 08/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001

देहरादून, 17 मई, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां एवं पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक 2001 पर दिनांक 17 मई, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 08 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल, (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1980) का उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

2—मूल अधिनियम में जहां—जहां—

(1) "या परिषद्" आया है, उसे हटाया गया समझा जायेगा।

(2) "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" रख दिया जायेगा।

(3) "लखनऊ" के स्थान पर "देहरादून अथवा जहां भी राजधानी हो" रख दिया जायेगा।

धारा 5(1) का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 5 (1) में "तिरानवे हजार रुपये" के स्थान पर "साठ हजार रुपये के रेलवे कूपन के बराबर की धनराशि डीजल व्यय हेतु तथा शेष धनराशि तैंतीस हजार रुपये के रेलवे कूपन" रख दिया जायेगा।

धारा 16 का संशोधन

4—(1) मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) तथा (3) में शब्द "तीन सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "सात हजार पाँच सौ रुपये" रख दिया जायेगा।

(2) मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा—

"परन्तु सरकारी आवास सदस्य को आवंटित होने की दशा में यह धनराशि देय नहीं होगी"।

आज्ञा से,
पी0 सी0 पन्त,
सचिव।

No. 08/Vidhayee Evam Sansadiya Karya/2001
Dated Dehradun, May 17, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Legislature (Emoluments and Pension of Member's) (Uttaranchal Amendment) Bill, 2001 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 08 of 2001).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on May 17, 2001.

THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE (EMOLUMENTS AND PENSION OF MEMBER'S) UTTARANCHAL AMENDMENT ACT, 2001

To amend the Uttar Pradesh Legislature (Emoluments and Pension of Member's) Act, 1980 in its applicability to Uttaranchal.

AN
ACT

It is Hereby enacted in the Fifty-Second Year of the Republic of India as follows:--

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Legislature (Emoluments and Pension) Act, 1980 (Uttaranchal Amendment) Act, 2001.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification appoint in this behalf.

2. Wherever in Principal Act--

(1) "or council" occur it be deemed committed.

(2) The word "Uttaranchal" is substituted for the words "Uttar Pradesh".

(3) The word "Dehradun or wherever the Capital exists" are substituted for the words "Lucknow".

Amendment of section 5(1)

3. In sub-section (1) of section 5 hereinafter referred to as the Principal Act -- The words "Expenses of diesel equivalent to the amount of Railway coupon for Rupees Sixty Thousand and the balance Thirty Three Thousand as Railway coupon" are substituted for the words "Ninety Three Thousand".

4. (1) In sub-section (2) and (3) of section 16 of the Principal Act, words "Seven Thousand Five Hundred" are substituted for words "Three Hundred" following proviso is added to– Amendment of section 16

(2) Sub-section (2) of section 16 of the Principal Act--

"Provided that when official accomodation is allotted to a member, the amount shall not be payable".

By Order,

(P. C. PANT)
Sachiv.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 विधायी / 184–2001–500 (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।

क्रम संख्या–208

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 21 दिसम्बर, 2002 ई0
अग्रहायण 30, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 452/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002
देहरादून, 21 दिसम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 को दिनांक 21–12–2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 12, सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2002

(अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2002)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, वर्ष 1980) का उत्तरांचल राज्य में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रेत्तर संशोधन के लिये–

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम की धारा 17-क में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 17-क को निम्नवत् संशोधित समझा जायेगा-

(1) मूल अधिनियम की धारा 17-क में शब्द "दो लाख रुपये से अनधिक" के स्थान पर शब्द "तीन लाख रुपये से अनधिक" रख दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(यू० सी० ध्यानी)
अपर सचिव।

No. 452/Vidhayee and Sansadiya Karya/2002
Dated Dehradun, December 21, 2002

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh legislature (Emoluments and Pension of Members) (Second Uttaranchal Amendment) Act, 2002 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 12 of 2002).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented by the Governor on December 21, 2002.

THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE (EMOLUMENTS AND PENSION OF MEMBERS) (SECOND UTTARANCHAL AMENDMENT) ACT, 2002

(ACT No. 12 OF 2002)

To further amend the Uttar Pradesh Legislature (Emoluments and Pension of Members) Act, 1980 (Uttar Pradesh Act No. 23 of 1980) in its applicapability to State of Uttaranchal-

It is HEREBY enacted in the Fiftythird year of the Republic of India, as follows-

AN
ACT

Short title and Commencement

(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Legislature (Emoluments and Pension of Members) (Second Uttaranchal Amendment) Act, 2002.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Section 17-A of the Principal Act

Section 17-A of the Principal Act shall be deemed amended as follows-

(1) In Section 17-A of the Principal Act the words "not exceeding Rupees Two Lacs" shall be substituted by the words "not exceeding Rupees Three Lacs"

By Order.

(U. C. DHYANI)
Addl. Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 24 विधायी / 557-2002--500 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।